

न्यायालय— मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0:-1132 / 2004  
पूर्व दाण्डिक प्र0क0:-247 / 2002  
संस्थित दिनांक:-13.05.2002  
फाईलिंग नं..234503000082002

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....परिवादी

**!! विरुद्ध !!**

संपतसिंह पिता शंभूसिंह, उम्र-52 वर्ष,  
ग्राम पण्डाटोला, नाटा थाना परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

**!! निर्णय !!**

( दिनांक 09/06/2018 को घोषित किया गया )

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 23.02.2000 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत स्थित न्यायालय बैहर में मिथ्या प्रतिरूपण कर, प्रकल्पित रूप में आपराधिक अभियोजन में जमानतदार बनने व मिथ्या प्रतिरूपण द्वारा जमानत पेश कर अपना हलफनामा प्रस्तुत करने, इस प्रकार धारा-205 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 307/98 राज्य विरुद्ध हंसलाल वगैरह में आरोपी शंकरलाल पिता अघारी, जाति गोंड के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश था, जिसमें दिनांक 23.02.2000 को शंकरलाल के द्वारा गिरफ्तारी वारंट निरस्त कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा 5000/- रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत का आदेश किया गया। आदेश के

अनुपालन में संतलाल पिता अघारी जाति गोंड निवासी नाटा थाना परसवाड़ा तह. बैहर द्वारा 5000/- रुपये की जमानत प्रस्तुत की गयी। जबकि संतलाल व. अघारी की मृत्यु दिनांक 02.04.86 को हो गयी थी। आरोपी संपत ने स्वयं को संतलाल पिता अघारी बताकर जमानत और शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा अपना फोटो भी चस्पा किया। आरोपी द्वारा मिथ्या प्रतिरूपण कर जमानत लिया गया। जिसके संबंध में तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना परसवाड़ा को आवेदन मय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आरोपी द्वारा मिथ्या प्रतिरूपण किया जाना पाये जाने से आरोपी संपत के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया।

**04.** आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

**05.** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.02.2000 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत स्थित न्यायालय बैहर में मिथ्या प्रतिरूपण कर, प्रकल्पित रूप में आपराधिक अभियोजन में जमानतदार बनने व मिथ्या प्रतिरूपण द्वारा जमानत पेश कर अपना हलफनामा प्रस्तुत किया ?

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01

**06.** वाय.के. साहू अ.सा.01 ने बताया है कि दिनांक 12.05.02 को वह थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को न्यायालय बैहर से जमानतदार संतलाल पिता अघारी की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। जिसके परिपालन में उसने ग्राम नाटा थाना परसवाड़ा जाकर लक्ष्मण महार, सोनूलाल, नाथूराम, संपत, पंडित के कथन

उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। रिपोर्ट के साथ संतलाल की मृत्यु पंजीयन की नकल प्रस्तुत किया था। मृत्यु रजिस्टर के अनुसार संतलाल की मृत्यु दिनांक 02.05.1986 को हो गयी थी। उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रपी-01 है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रकरण में प्रस्तुत मृत्यु पंजीयन रजिस्टर की नकल में संतलाल का नाम लेखबद्ध नहीं है तथा रजिस्टर में शंखलाल उर्फ संतलाल का उल्लेख नहीं है। तथा इससे भी इंकार किया है कि आरोपी को फंसाने के लिये मिथ्या रूप से शंखलाल की मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि विवेचना अधिकारी की आरोपी से कोई रंजिश रही हो, जिसके कारण आरोपी को फंसाने के लिये शंखलाल का झूठा मृत्यु पंजीयन रजिस्टर और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

**07.** लक्ष्मण अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि संतलाल की मृत्यु हो गयी है। यह भी स्वीकार किया है कि संपतसिंह ने जमानतदार के रूप में हंसलाल को संतलाल बताकर प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पूर्व में पुलिस ने उससे कोई पहचान नहीं करवायी थी। उसने पुलिस को संतलाल पिता अघारीलाल को जानने के संबंध में कोई कथन नहीं किया था।

**08.** रविन्द्र लिहारे अ.सा.03 ने बताया है कि वह वर्ष जनवरी 1999 से अक्टूबर 2000 तक स्टेनो क्लर्क के रूप में एवं नवम्बर 2000 से मार्च 2003 तक साक्ष्य लेखक के रूप में व्यवहार न्यायालय बैहर में पदस्थ था। दिनांक 23.02.2000 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय में श्रीराम प्रकाश मिश्रा पदस्थ थे। दिनांक 23.02.2000 को उनके द्वारा आरोपी शंकरलाल का जमानत आदेश दिया गया था। जिसमें जमानतदार ने अपनी फोटो लगाकर अपना नाम संतलाल पिता अघारी निवासी नाटा बताकर शंकरलाल की जमानत लिया था। जमानतदार की जांच हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी

परसवाड़ा को प्रतिवेदन देने हेतु प्रपी-02 का ज्ञापन दिया था। उक्त ज्ञापन के आधार पर थाना प्रभारी परसवाड़ा के द्वारा प्रपी-01 का प्रतिवेदन दिया गया था। प्रतिवेदन के आधार पर जमानतदार संतलाल उर्फ शंखलाल पिता अघारी निवासी नाटा के करीब 15-16 वर्ष पूर्व मृत्यु होने की जानकारी हुई थी। आरोपी संपत के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रपी-03 का परिवाद प्रस्तुत किया था। जमानत के प्रकरण में प्रस्तुत मुचलका प्रपी-04 है।

**09.** धारा 205 भा.दं.वि. को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिये कि आरोपी द्वारा दूसरे व्यक्ति का मिथ्या प्रतिरूपण किया गया तथा ऐसे धरे हुये रूप में जमानतदार या प्रतिभू बना था तथा उक्त कार्य वाद या आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही में किया गया। इस प्रकरण में भी आरोपी पर संतलाल उर्फ शंखलाल का मिथ्या प्रतिरूपण कर शंकरलाल की जमानत लिये जाने का आरोप है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संतलाल उर्फ शंखलाल की मृत्यु के संबंध में थाना परसवाड़ा से जांच कराया गया। जिसके संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रपी-01 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार संतलाल उर्फ शंखलाल पिता अघारी की मृत्यु दिनांक 02.04.86 को हो गयी थी। जबकि आरोपी द्वारा दिनांक 23.02.2000 को संतलाल का प्रतिरूपण कर शंकरलाल की जमानत ली गयी। उक्त तथ्य की पुष्टि वाय.के. साहू अ.सा. 01 ने किया है। तत्कालीन साक्ष्य लेखक रविन्द्र अ.सा.03 ने भी बताया है कि आरोपी द्वारा अपना फोटो लगाकर संतलाल वल्द अघारी बनकर शंकरलाल की जमानत ली गयी जबकि संतलाल की मृत्यु जमानत लिये जाने से 15-16 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। रविन्द्र अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आरोपी द्वारा फर्जी व्यक्ति के नाम से जमानत नहीं ली गयी तथा इससे भी इंकार किया है कि तत्कालीन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहने के कारण वह झूठा कथन कर रहा है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाता हो तथा जमानत मुचलका प्रपी-04 में भी

संतलाल पिता अघारी बनकर आरोपी द्वारा मुचलका जमानत प्रस्तुत किया गया है तथा जमानतनामा में आरोपी द्वारा संतलाल पिता अघारी का नाम उल्लेख कर स्वयं का फोटो चस्पा किया गया है। जिससे उपरोक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा संतलाल का प्रतिरूपण कर शंकरलाल का जमानत लिये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 23.02.2000 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत स्थित न्यायालय बैहर में मिथ्या प्रतिरूपण कर, प्रकल्पित रूप में आपराधिक अभियोजन में जमानतदार बनने व मिथ्या प्रतिरूपण द्वारा जमानत पेश कर अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। फलतः आरोपी को धारा-205 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

**पुनःश्च—**

11. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2002 से लंबित है। आरोपी ने लगभग 16 वर्षों तक विचारण का सामना किया है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रकरण वर्ष 2002 से



लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। आरोपी ने 16 वर्षों तक विचारण का सामना किया है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	आरोपी का नाम	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	संपतसिंह पिता शंभूसिंह, उम्र-52 वर्ष, ग्राम पण्डाटोला, नाटा, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म0प्र0)	205 भा. द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	1000 / -रु पये	15 दिवस का सश्रम कारावास

12. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है।

13. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/-

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/-

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)